न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 266 / 2024

अनवान : –

1. सतवीर सिंह पुत्र बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. रामधारी पुत्र बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बोगाराम पुत्र मामराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
2. रामनिवास पुत्र बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. कलावती पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
5. धर्मा देवी पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
7. धापी देवी पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 81 / 81 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है तथा वयोवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हिक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपन जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 को कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 81/81 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से प0 नं0 404/444 (13) के किला नं. 2/1 के मिन पूर्व की 0.029 है0, 3/1 की 0.2280 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/1 की 0.2280 है0, 4/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 के मिन उत्तर की 0.139 है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता कुल किता 7 की कुल तादादी 0.700 है0 जिसमें नहरी– 0.624 है0 व रास्ता– 0.076 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा प0 नं0 404/444 (13) किला नं. 2/1 के मिन पश्चिम कीं 0.185 है0, 2/3 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/1 के मिन पश्चिम की 0. 199 है0, 9/1 की 0.240 है0 कुल किता 4 की कुल तादादी 0.650 है0 जिसमें नहरी–0.624 है0 रास्ता– 0.026 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं प0 नं0 404/444 (13) किला नं. 5/1 के मिन दक्षिण की 0.063 है0, 5/3 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/1 की 0.2280 है0, 6/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 7/1 की 0.253 है0, 8/2 के मिन पूर्व की 0.054 है0, 14/1 की 0.0130 है0, 15/1 की 0.0130 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 0.674 है0 भूमि जिसमें नहरी–0.624 है0, खाला–0.050 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनत[illegible] जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 81/81 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त भी वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 81/81 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 404/444 (13) के किला नं. 2/1 के मिन पूर्व की 0.029 है0, 3/1 की 0.2280 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/1 की 0.2280 है0, 4/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 के मिन पूर्व की 0.114 है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता कुल किता 7 की कुल तादादी 0.700 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 404/444 (13) किला नं. 2/1 के मिन पश्चिम की 0.185 है0, 2/3 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/1 के मिन पश्चिम की 0.199 है0, 9/1 की 0.240 है0 कुल किता 4 की कुल तादादी 0.650 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 404/444 (13) किला नं. 5/1 के मिन दक्षिण की 0.063 है0, 5/3 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/1 की 0.2280 है0, 6/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 7/1 की 0.253 है0, 8/2 के मिन पूर्व की 0.054 है0, 14/1 की 0.0130 है0, 15/1 की 0.0130 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 0.674 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीली जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 266/2024

अनवान : –

1. सतवीर सिंह पुत्र बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. रामधारी पुत्र बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बोगाराम पुत्र मामराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
2. रामनिवास पुत्र बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. कलावती पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
5. धर्मा देवी पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
7. धापी देवी पुत्री बोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 12 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 266 सन 2024 निर्णय दिनांक – 01/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोंही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 81/81 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 404/444 (13) के किला नं. 2/1 के मिन पूर्व की 0.029 है0, 3/1 की 0.2280 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/1 की 0.2280 है0, 4/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 के मिन उत्तर की [illegible] है0, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता कुल किता 7 की कुल तादादी 0.700 है0 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 404/444 (13) [illegible] नं. 2/1 के मिन पश्चिम की 0.185 है0, 2/3 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/1 के [illegible] पश्चिम की 0.199 है0, 9/1 की 0.240

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है0 कुल किता 4 की कुल तादादी 0.650 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 404/444 (13) किला नं. 5/1 के मिन दक्षिण की 0.063 है0, 5/3 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/1 की 0.2280 है0, 6/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 7/1 की 0.253 है0, 8/2 के मिन पूर्व की 0.054 है0, 14/1 की 0.0130 है0, 15/1 की 0.0130 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 0.674 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested